संख्या- 1542 /अड़तीस-7-2022-08नरेगा/2022

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 07 दिसम्बर, 2022

विषय- हाईटेक नर्सरी का मनरेगा योजना से वित्त पोषण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3500/58-2022 दिनांक 12-10-2022, जो मा0 उद्यान मंत्री व म0 उप मुख्यमंत्री(विभागीय मंत्री, ग्राम्य विकास) के अनुमोदन से निर्गत किया गया है, उस पर कतिपय मुख्य विकास अधिकारीगण द्वारा कुछ पृच्छाएं की गयी हैं। उदाहरणत: 60:40 श्रमांश एवं सामग्री में अनुपात, कान्ट्रैक्टर के माध्यम से आपूर्ति एवं योजना का ग्राम, क्षेत्र एवं जिला पंचायत से अनुमोदन न होने के संबंध में। उक्त सभी बिन्दुओं के संबंध में दिनांक 06-12-2022 को हुई वीडियो कान्फ्रेसिंग में सभी मुख्य विकास अधिकारीगण को मनरेगा योजना की गाइडलाइन एवं तथ्यों से अवगत कराया गया। मुख्य विकास अधिकारीगण द्वारा उठाये गये बिन्दु एवं आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

2- इस सम्बंन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हाईटेक नर्सरी की स्थापना के संबंध में उपरोक्त शासनादेश के निर्देशों के क्रम में वरीयता पर सक्षम स्तर से हाईटेक नर्सरी के डीपीआर के अनुमोदन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संलग्नक यथोक्त ।

भवदीय

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 1542 (1)/अड़तीस-7-2022-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश को दिनांक 06-12-2022 को मुख्य विकास अधिकारीगण के साथ हुई वीडियो कान्फ्रेसिंग की चर्चा के क्रम में महिला मेटों के पारिश्रमिक के नियमित भुगतान हेतु एवं हाईटेक नर्सरी योजना के लिए सामग्री मद के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही रू0 1000.00 करोड़ की सामग्री अंश की धनराशि से रू0 100.00 करोड़ की धनराशि आरक्षण की व्यवस्था बनायें।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0।
4. गार्ड बुक।

आज्ञा से
7/12/22
(हरी राम)
संयुक्त सचिव।

सं. 1542/31-7-2022

हाईटेक वेजीटेबल सिडिलिंग प्रोडक्शन इकाई को मनरेगा योजना से कराये जाने के संबध में विचारणीय बिन्दु

<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>बिंदु</th><th>आख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>उद्यान विभाग द्वारा प्रस्तुत स्टीमेट में इकाई की लागत रु० 162.41 लाख बतायी गयी है। जिसमे कार्यशील पूंजी अंतर्गत रु० 6.39 लाख श्रमांश पर व्यय होना है । जिसमे सामग्री का अनुपात 04:96 होगा। जो कि मनरेगा अधिनियम में निर्धारित 60:40 अनुपात से बहुत कम है।</td><td>ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मास्टर सर्कुलर-2021-22 के प्रस्तर 6.1.10 के अनुसार मनरेगा योजनान्तर्गत श्रम सामग्री अनुपात 60:40 जनपद स्तर पर बनाये जाने के निर्देश है। विगत 5 वर्षों में प्रदेश स्तर पर सामग्री अंश में व्यय धनराशि का विवरण निम्न है :-
<table>
<tr><th>S. No</th><th>FY</th><th>Wage Paid +Pipeline</th><th>Material Paid + Pipeline</th><th>Total</th><th>Material Exp. Potential (60:40)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2022-23</td><td>519603.58</td><td>350890.22</td><td>870493.80</td><td>40%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2021-22</td><td>662533.43</td><td>221358.07</td><td>883891.50</td><td>25%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2020-21</td><td>788628.74</td><td>453455.78</td><td>1242084.52</td><td>37%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>2019-20</td><td>452096.38</td><td>127991.77</td><td>580088.15</td><td>22%</td></tr>
<tr><td>5</td><td>2018-19</td><td>378477.88</td><td>179309.53</td><td>557787.41</td><td>32%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2</td><td>जिला उद्यान अधिकारी द्वारा मौखिक रूप से बताया गया है कि इकाई में स्थापित होने वाले बड़े उपकरणों तथा सिडलिंग सिस्टम को बनाने के लिए टेण्डर के माध्यम से ठेकेदार नियुक्त किये जायेगें। जब कि मनरेगा अधिनियम में ठेकेदारी प्रथा वर्जित है।</td><td>1- मनरेगा योजना के अंतर्गत सामुदायिक कार्य के अंतर्गत जिला स्तरीय नर्सरियों को बनाये जाने में 03 मदों में धन व्यय किया जाना वांछित है:-
1- <u>अकुशल श्रम</u>- महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत कार्य की मांग कर रहे श्रमिकों/परिवारों की उपलब्धता के अनुसार नियोजन,
2- <u>कुशल व अर्द्ध कुशल श्रम</u>- उद्यान विभाग के अधिकारीयों के नेतृत्व में आवश्यकतानुसार स्थानीय श्रम शक्ति को 14 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के उपरांत प्रशिक्षण में विशेषज्ञों का सहयोग लिया जा सकता है। श्रम प्रदान करने पर मनरेगा से कुशल व् अर्द्ध कुशल श्रेणी का MB के आधार पर भुगतान किया जायेगा ।
2- <u>जिला स्तरीय नर्सरियों हेतु सामग्री आपूर्ति</u>- जिला स्तरीय नर्सरियों हेतु नामित PIA उद्यान विभाग के मुख्यालय स्तर से चिन्हांकित आपूर्तिकर्ता फर्मों के माध्यम से आवश्यक सामग्री जिला उद्यान अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी तथा Consumption MB के आधार पर सामग्री हेतु राज्य स्तरीय SNA खाते से DBT प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा । PIA के द्वारा किसी भी स्तर पर Labour Displacing</td></tr>
</table>

SoRD
06/12/22

		मशीनों का प्रयोग नहीं किया जायेगा । ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मास्टर सर्कुलर-2021- 22 के पैरा- 11.11 में पर Labour Displacing मशीनों के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किया गया है:- " Para 22 of Schedule-1, Mahatma Gandhi NREGA, lays down that "As far as practicable, works executed by the programme implementing agencies shall be performed by using manual labour and no labour displacing machine shall be used." However there may be activities in executing works which cannot be carried out by manual labour, where use of machine may become essential for maintaining the quality and durability of work to be completed under Mahatma Gandhi NREGS." 3- हाई टेक वेजीटेबल सीडलिंग प्रोडक्शन इकाई (मिनी सेण्टर ऑफ़ एक्सिलेंस फॉर वेजीटेबल) की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- 1312/38-7-2022-08नरेगा/2022, दिनांक- 15-09-2022 में स्पष्ट निर्देश दिए गये है कि जनपद के उद्यान विभाग से प्रस्ताव प्राप्त कर मनरेगा योजना के अंतर्गत हाई टेक नर्सरी की स्थापना के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये । 4- मनरेगा योजनान्तर्गत सामग्री क्रय किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 11-11-2019 के द्वारा निर्देश दिए गये है । इसके साथ ही मास्टर सिर्कुलर- 2021-22 के प्रस्तर 7.1.7 के बिंदु (c) में निम्न प्राविधान किया गया है:- "If some items are to be used across the entire block e.g., bricks, reinforcement bars etc., then the requirement from each GP for the entire financial year may be aggregated at the block level. The BDO shall call a tender for such aggregated items so that materials are procured at competitive rates and economies of scale are achieved. The BDO shall approve the vendors along with rates for procurement of the aggregated items. In all such cases, the GPs may procure the material at approved rates through vendors approved by BDO. The **States can also procure such aggregated items either at the District or the State level after approval of the Principal Secretary** in charge of Mahatma Gandhi NREGS. " उक्त से स्पष्ट है कि राज्य स्तर अनुमोदनोपरान्त सामग्री की आपूर्ति राज्य स्तर से जनपद स्तर पर की जा सकती है । 5- हाई टेक नर्सरी हेतु उपयोग की जाने वाली मशीन का टेंडर आदि प्रक्रिया उद्यान विभाग के राज्य मुख्यालय के स्तर से की जानी है । अतः उक्त प्रक्रिया में जनपद स्तरीय अधिकारीयों का Role नहीं है ।

		6- हाई टेक नर्सरी निर्माण में उद्यान विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य किया जाना है ।
3	यह परियोजना नियमानुसार ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत से अनुमोदित नही की गयी है।	मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के श्रम बज़ट निर्माण की कार्यवाही जनपदों द्वारा की जा रही है । वित्तीय वर्ष 2023-24 की कार्य योजना में उक्त परियोजनाये निर्धारित प्राविधानो के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए क्रियान्वित की जानी है ।
4	इतने बड़े प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए मशीनों का प्रयोग होगा, जब कि मनरेगा अधिनियम अन्तर्गत मशीन प्रयोग वर्जित है।	मशीनों का उपयोग नर्सरी के संचालन में किया जाना है, जब कि मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्राविधानो के अनुसार श्रमांश मनरेगा योजना से दिया जाना है ।
5	इस परियोजना में मनरेगा अंश का उपयोग होना है, परियोजना से सम्बन्धित तकनीकी ज्ञान मनरेगा से जुड़े किसी भी स्तर के अधिकारी को नही है।	1- परियोजना के क्रियान्वयन में तकनीकी कन्वर्जेन्स के माध्यम से तकनीकी सहयोग उद्यान विभाग द्वारा दिया जाना है । 2- उद्यान विभाग द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना है। अतः उद्यान विभाग के निर्देशन में उद्यान विभाग द्वारा चयनित संस्था द्वारा मनरेगा जॉब कार्ड धारकों को 15 दिवस का हाईटेक नर्सरी के निर्माण/संचालन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

नोट -

1- मनरेगा योजना के अंतर्गत सामुदायिक कार्य के अंतर्गत हाई टेक वेजीटेबल सीडलिंग प्रोडक्शन इकाई (मिनी सेण्टर ऑफ़ एक्सिलेंस फॉर वेजीटेबल) की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- 1312/38-7-2022-08नरेगा/2022, दिनांक- 15-09-2022 के द्वारा विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये है ।

2- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मास्टर सर्कुलर-2021-22 में अनुमन्य कार्यों की सूची के क्रमांक 175, 176, 177 में निम्न प्राविधान किया गया है :-

175- Raising of Nursery for Individual.
176- Raising of Nursery for Community.
177- Raising of Nursery for Groups.